भा.व.से. अधिकाऱ्यांनी लोकपाल व लोकआयुक्त अधिनियम २०१३ अंतर्गत मत्ता व दायित्वांची विवरणपत्रे सादर करणेबाबत......

महाराष्ट्र शासन

महसूल व वन विभाग

शासन परिपत्रक क्रमांक: आयएफएस-२०११/प्र.क्र.४६/फ-७

मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक

मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२

दिनांक : २३/०४/२०१५

वाचा :-

१) केंद्रिय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नवी दिल्ली यांची दि. २६/१२/२०१४ रोजीची अधिसूचना.
२) केंद्रिय पर्यावरण, वने तथा जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाचे दि. १०/०९/२०१४ चे पत्र.
३) महसूल व वन विभागाचे समक्रमांकाचे दि. २९/०९/२०१४ व दि. ०९/०२/२०१५ ची पत्रे.
४) केंद्रिय कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, नवी दिल्ली यांचे ज्ञापन क्र.४०७/१२/२०१४-एव्हीडी-IV-बी, दिनांक १८.०३.२०१५

शासन परिपत्रक

लोकपाल व लोकआयुक्त अधिनियम, २०१३ मधील कलम ४४ नुसार राज्यातील भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी त्यांची व त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची (पती/पत्नी व अवलंबून असणारी मुले) दिनांक १ ऑगस्ट, २०१४ रोजीची स्थिती दर्शवणारी मत्ता व दायित्वाची विवरणपत्रे दिनांक १५.९.२०१४ पर्यंत सादर करण्याची तरतूद सदर नियमामध्ये करण्यात आली होती. सदर मत्ता व दायित्वाची विवरणपत्रे सादर करण्यासाठी दिनांक ३१.१२.२०१४ पर्यंतची मुदतवाढ देण्यात आली होती.

२. त्यानंतर केंद्र शासनाने लोकपाल व लोकआयुक्त अधिनियम २०१३ मधील तरतूदीनुसार सादर करणे आवश्यक असलेली मत्ता व दायित्वांची विवरण पत्रे सादर करण्यास दिनांक ३०.०४.२०१५ पर्यंत मुदत वाढविली आहे.त्यामुळे राज्यातील भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांनी त्यांची मत्ता व दायित्वांची दिनांक ०१.०८.२०१४ ची स्थिती दर्शविणारी विवरणपत्रे सदर नियमामध्ये विहित केलेल्या कार्यपध्दतीने दिनांक ३०.४.२०१५ पर्यंत सादर करावीत. सदर बाबत संदर्भाधिन पत्र क्र. ३ मध्ये नमुद दि. ०९/०२/२०१५ च्या पत्रान्वये कळविण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या दिनांक २६.१२.२०१४ च्या अधिसूचनांच्या प्रती तसेच दिनांक १८.०३.२०१५ च्या ज्ञापनाची प्रत (संदर्भ क्र. ४) या परिपत्रकासोबत जोडण्यात येत आहेत.

३. तरी या अनुषंगाने राज्य संवर्गातील भारतीय वन सेवेतील सर्व अधिकाऱ्यांना खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत:-

i. लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियमांतर्गत सर्वप्रथम दिनांक ०१.०८.२०१४ ची स्थिती दर्शविणारी मत्ता व दायित्व विरणपत्रे दिनांक ३०.०४.२०१५ पूर्वी सादर करावीत.

ii. सदर अधिनियमांतर्गत दिनांक ३१.०३.२०१५ रोजी पूर्ण होत असलेल्या वर्षासाठीचे वार्षिक मत्ता व दायित्व विवरणपत्र दिनांक ३१.०७.२०१५ पूर्वी सादर करावे.

iii. तदनंतर प्रत्येक वर्षी ३१ मार्च रोजीची स्थिती दर्शविणारी वार्षिक मत्ता व दायित्व विवरणपत्रे त्या वर्षीच्या दिनांक ३१ जूलै पूर्वी सादर करावीत.

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१५०४२३१७०७३२५०१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

TIWARI VIRENDRA RAMBAHAL

Digitally signed by TIWARI VIRENDRA RAMBAHAL
DN: CN = TIWARI VIRENDRA RAMBAHAL, C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = REVENUE AND FOREST,CID - 917243
Date: 2015.04.23 17:31:29 +05'30'

(वीरेंद्र तिवारी)
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय)

प्रत:

१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बलप्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (कार्मिक), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर
४. मंत्री (वने) यांचे खाजगी सचिव
५. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव
६. सचिव (वने) यांचे स्वीय सहाय्यक
७. महाराष्ट्र संवर्गातील सर्व भावसे अधिकारी
८. कार्यासन (फ-७) संग्रहार्थ /निवड नस्ती

No.407/12/2014-AVD-IV-B
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-110001.
Dated the 18.03.2015.

Office Memorandum

Subject : **Declaration of Assets and Liabilities by public servants under section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 – Clarification regarding formats to be used for filing returns under the Act.**

The undersigned is directed to refer to this Department's DO letter of even No. dated 29th December, 2014 and the O.M. of even No. dated 13th January, 2015 regarding furnishing of information relating to assets and liabilities by public servants under section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, forwarding therewith copies of the Central Government's notifications dated 26th December, 2014 containing –

(a) Amendment to the Lokpal & Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014, for the purpose of extending the time limit for carrying out necessary changes in the relevant rules relating to different services from "three hundred and sixty days" to "eighteen months" , from the date on which the Act came into force, i.e., 16th January, 2014; and

(b) The Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Amendment Rules, 2014, extending the time limit for filing of **revised returns** (pl see proviso under sub- rule 2 of rule 3 of the principal rules) by all public servants from 31st December, 2014 to 30th April, 2015.

2. In this regard, it is clarified that :-

(i) The first return (as on 1st August, 2014) under the Lokpal Act should be filed on or before the 30th April, 2015;

(ii) The next annual return under the the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 for the year ending 31st March, 2015 should be filed on or before 31st July, 2015; and

(iii) The annual return for subsequent years as on 31st March every year should be filed on or before 31st July of that year.

3. The following Assets & Liabilities Return forms (both in English and Hindi) are enclosed herewith as indicated below :-

A. **Declaration** to be filed with Return of Assets and Liabilities on First Appointment or as on the 31st March, 20...... (Under Sec 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.) [**Appendix-I** of the notification dated 14.07.2014].

B.

(a) **FORM No. I** - Details of Public Servant, his/ her spouse and dependent children[**Appendix-II** of the notification dated 14.07.2014].

(b) **Modified FORM No. II** - Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20...[**Appendix-II** of the notification dated **14.07.2014** as **modified vide notification dated 26.12.2014].**

(c) **FORM NO. III** - Statement of immovable property on first appointment or as on the 31st March, 20.... (e.g. Lands, House, Shops, Other Buildings, etc.) [Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children] [Appendix-II of the notification dated 14.07.2014].

(d) **Modified FORM No. IV** - Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20........[**Appendix-II** of the notification dated 14.07.2014 **as modified vide notification dated 26.12.2014**].

4. It is requested to ensure that all officers and staff in your Ministry/Department/organizations file the said declarations/returns within the prescribed time-limits, in the afore-mentioned forms.

Enc:- As above.

19/3/2015
(Jishnu Barua)
Joint Secretary(V-2)

1. **Secretary**
   All Ministries/Departments of the Government of India
   (as per standard mailing list)
2. **The Chief Secretary**
   All State Governments/Administrators, UTs (as per standard mailing list)

Copy , with a request for similar action, forwarded to :

(i) Secretary General, Lok Sabha
(ii) Secretary General, Rajya Sabha
(iii) Comptroller and Auditor General of India
(iv) Secretary, Election Commission of India

APPENDIX-I
[Rule 3(1)]

Return of Assets and Liabilities on First Appointment or as on the 31st March, 20......*
(Under Sec 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.)

1. Name of the Public servant in full..
(in block letters)

2.(a) Present public position held (Designation, name and address of organisation) ....

(b) Service to which belongs (if applicable) ....

Declaration:

I hereby declare that the return enclosed namely, Forms I to IV are complete, true and correct to the best of my knowledge and belief, in respect of information due to be furnished by me under the provisions of section 44 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.

Date.....................   Signature.............................

* In case of first appointment please indicate date of appointment.

Note 1. This return shall contain particulars of all assets and liabilities of the public servant either in his/her own name or in the name of any other person. The return should include details in respect of assets/ liabilities of spouse and dependent children as provided in Section 44 (2) of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013.
(Section 44(2):A public servant shall, within a period of thirty days from the date on which he makes and subscribes an oath or affirmation to enter upon his office, furnish to the competent authority the information relating to—

(*a*) the assets of which he, his spouse and his dependent children are, jointly or severally, owners or beneficiaries;

(*b*) his liabilities and that of his spouse and his dependent children.)

Note 2. If a public servant is a member of Hindu Undivided Family with co-parcenary rights in the properties of the family either as a 'Karta' or as a member, he should indicate in the return in Form No. III the value of his share in such property and where it is not possible to indicate the exact value of such share, its approximate value. Suitable explanatory notes may be added wherever necessary.
Note 3:— "dependent children" means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the public servant for their livelihood. *(Explanation below Section 44(3) of* Lokpal and Lokayuktas Act, 2013)

APPENDIX-II
[Rule 3(1)]

FORM No. I

Details of Public Servant, his/ her spouse and dependent children

SL No.		Name	Public Position held, if any	Whether return being filed by him/her, separately
1	Self			
2	Spouse			
3	Dependent-1			
4	Dependent-2			
5.*	Dependent-3			

* Add more rows, if necessary.

Date…………………..

Signature………………...

"FORM No. II

Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20...

(Use separate sheets for self, spouse and each dependent child.)

e of public servant/spouse/dependent child: ______________________

No	Description	Remarks, if any
*	Cash and bank balance:	
i)**	Insurance (premia paid) :	
	Fixed /Recurring Deposit(s) :	
	Shares/Bonds :	
	Mutual Fund(s) :	
	Pension Scheme/Provident Fund	
	Other investments, if any :	
(iii)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, trust, etc. and other receivables from debtors and the amount (exceeding two months basic pay or Rupees one lakh, as the case may be):	
(iv)	Motor Vehicles (Details of Make, registration number, year of purchase and amount paid):	
(v)	Jewellery [Give details of approximate weight (plus or minus 10 gms. in respect of gold and precious stones; plus or minus 100 gms. in respect of silver).]	
	Gold:	
	Silver:	
	Precious metals and precious stones:	
	Composite items: (indicate approximate value)***	
(vi)	Any other assets [Give details of movable assets not covered in (i) to (v) above] (a) Furniture (b) Fixtures (c) Antiques (d) Paintings (e) Electronic equipments (f) Others [Indicate the details of an asset, only if the total current value of any particular asset in any particular category (e.g. furniture, fixtures, electronic equipments, etc.) exceeds two months' basic pay or Rs. 1.00 lakh, as the case may be.]	

Date ....   Signature...........................

* Details of deposits in the foreign Bank(s) to be given separately.

** Investments above Rs. 2 lakhs to be reported individually. Investments below Rs.2 lakhs may be reported together.

*** Value indicated in the first return need not be revised in subsequent returns as long as no new composite item had been acquired or no existing items had been disposed of, during the relevant year.";

FORM NO. III

Statement of immovable property on first appointment or as on the 31st March, 20….

(e.g. Lands, House, Shops, Other Buildings, etc.)

[Held by Public Servant, his/her spouse and dependent children]

Sl. No.	Description of property (Land/ House/ Flat/ Shop/ Industrial etc.)	Precise location (Name of District, Division, Taluk and Village in which the property is situated and also its distinctive number, etc.)	Area of land (in case of land and buildings)	Nature of land in case of landed property	Extent of interest	If not in name of public servant, state in whose name held and his/her relationship, if any to the public servant	Date of acquisition	How acquired (whether by purchase, mortgage, lease, inheritance, gift or otherwise) and name with details of person/persons from whom acquired (address and connection of the Government servant, if any, with the person/persons concerned) (Please see Note 1 below) and cost of acquisition.	Present value of the property (If exact value not known, approx value may be indicated)	Total annual income from the property	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Date……………………

Signature………………

Note (1) For purpose of Column 9, the term "lease" would mean a lease of immovable property from year to year or for any term exceeding one year or reserving a yearly rent. Where, however, the lease of immovable property is obtained from a person having official dealings with the Government servant, such a lease should be shown in this Column irrespective of the term of the lease, whether it is short term or long term, and the periodicity of the payment of rent.

"FORM No. IV

Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20.....

Sl. No.	Debtor (Self/ Spouse or dependent children)	Name and address of Creditor	Nature of debt/ liability and amount	Remarks
1	2	3	4	5

Date ....   Signature...........................

Note 1: Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.

Note 2. The statement should include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) taken from banks, companies, financial institutions, Central/State Government and from individuals.".

परिशिष्ट - 1
(नियम 3(1) देखिए)

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....को यथाविद्यमान आस्तियों और दायित्वों की विवरणी
(लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के अधीन)

1. लोक सेवक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ....

2. (क) वर्तमान में धारित लोक स्थिति ....

(पदनाम, नाम और संगठन का पता)

(ख) किस सेवा से संबंधित है (यदि लागू है)

घोषणा —

यह घोषणा करता हूँ कि लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 के उपबंधों के अधीन, मेरे द्वारा, प्रस्तुत की जाने वाली सूचना की बाबत संलग्न विवरणी अर्थात् प्ररुप 1 से प्ररुप 4 मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और ठीक है ।

तारीख.........................   हस्ताक्षर..

*पहली नियुक्ति की दशा में, कृपया नियुक्ति की तारीख उपदर्शित करें ।

....

टिप्पण 1. इस विवरणी में या तो उसके स्वयं के नाम या किसी अन्य व्यक्ति के नाम लोक सेवक की सभी आस्तियों और दायित्वों की विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी । विवरणी में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 (2) में यथाउपबंधित पति या पत्नी और आश्रित बालकों की आस्तियों/दायित्वों की बाबत ब्यौरे सम्मिलित होंगे ।

(धारा 44(2) लोक सेवक उस तारीख से जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को ——

(क) उन आस्तियों के संबंध में जिनका वह उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक संयुक्ततः या पृथकतः स्वामी या फायदाग्राही हैं ;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी और अपने आश्रित बालकों के दायित्वों के संबंध में,

सूचना देगा ।

टिप्पण 2. यदि कोई लोक सेवक, या तो "कर्ता" या किसी सदस्य के रुप में कुटुंब की संपत्तियों में सह समांशी अधिकारों के साथ हिंदू अविभक्त कुटुंब का सदस्य है तो उसे ऐसे संपत्ति में अपने भाग का मूल्य प्ररुप सं 3 की विवरणी में उपदर्शित करना चाहिए और जहां ऐसे भाग का ठीक मूल्य उपदर्शित करना संभव नहीं है वहां इसका लगभग मूल्य उपदर्शित हो, स्पष्टीकारक टिप्पणियों को जोड़ा जा सकेगा, जहां कहीं आवश्यकता हो ।

टिप्पण 3. "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं जिनके पास उपार्जन का कोई पृथक साधन नहीं है और वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः लोकसेवक पर आश्रित हैं । (नीचे लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44(3) का स्पष्टीकरण

परिशिष्ट - 2
(नियम 3 (1)देखिए)

प्ररुप संख्या 1

लोकसेवक, उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों के ब्यौरे

क्रम संख्या		नाम	धारित लोक स्थिति यदि कोई हो	क्या विवरणी, उसके द्वारा पृथक रुप से फाइल की जाती है ।
1	स्वयं			
2	पति या पत्नी			
3	आश्रित - 1			
4	आश्रित -2			
5*	आश्रित - 3			

*और पंक्ति जोड़े, यदि आवश्यक हैं

तारीख .... हस्ताक्षर.............................

"प्रारूप सं0 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20.....................को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण

(स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें)

क्रम सं0	विवरण	टिप्पणियां, यदि कोई हों
(i)*	नकदी और बैंक में अतिशेष :	
(ii)**	बीमा (संदत्त प्रीमियम) :	
	नियत/आवर्ती जमा :	
	शेयर/बॉंड :	
	पारस्परिक निधि (निधियां) :	
	पैंशन स्कीम/भविष्य निधि	
	अन्य विनिधान, यदि कोई हों :	
(iii)	किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अभिदाय (एडवांस) और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम (यथास्थिति, दो मास का मूल वेतन या एक लाख रुपए से अधिक) :	
(iv)	मोटर यान (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदत्त रकम के ब्यौरे) :	
(v)	आभूषण [अनुमानित भार (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत 10 ग्राम अधिक या कम ; चांदी की बाबत 100 ग्राम अधिक या कम)]	
	सोना :	
	चांदी :	
	बहुमूल्य धातुएं और बहुमूल्य रत्न :	
	मिश्रित मदें : (अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें)***	
(vi)	कोई अन्य आस्ति : [उपरोक्त (i) से (v) के अंतर्गत न आने वाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे दें] (क) फर्नीचर (ख) फिक्सचर (ग) प्राचीन वस्तुएं (घ) रंगचित्र (पेंटिंग) (ङ) इलैक्ट्रानिक उपस्कर (च) अन्य	

	(किसी प्रवर्ग की बाबत ब्यौरे तभी उपदर्शित करें यदि उस विशिष्ट प्रवर्ग (अर्थात् फर्नीचर, फिक्सचर, इलैक्ट्रानिक उपस्कर आदि) में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो मास के मूल वेतन या 1.00 लाख रुपए से अधिक हो)	

तारीख........................ हस्ताक्षर......................

*विदेशी बैंक (बैंको) में जमाओं के ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे ।

**2 लाख रुपए से अधिक के विनिधानों व्यक्तिगतरूप से रिपोर्ट किए जाएंगे । 2 लाख रुपए से कम के विनिधान एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है ।

***पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक सुसंगत वर्ष के दौरान कोई नई संयुक्त मद अर्जित नहीं की गई हो या किन्हीं विद्‌यमान मदों का निपटारा नहीं किया गया हो ।";

प्ररुप सं0 3

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20......................को यथाविद्यमान स्थावर संपत्ति का विवरण

(लोक सेवक,उसके पति या पत्नी और आश्रित बालकों द्वारा धारित)

क्रम संख्या	संपत्ति का वर्णन, (भूमि/गृह/ फ्लैट/दुकान/औद्योगिक आदि)	सुनिश्चित अवस्थिति का सार (जिला, प्रभाग, ताल्लुक और उस ग्राम का नाम जिसमें संपत्ति अवस्थिति है और इसकी सुभिन्न संख्या आदि	भूमि का क्षेत्र (भूमि और भवनों के मामलों में)	भूमि संपत्ति के मामले में भूमि की प्रकृति	हित का विस्तार	यदि लोक सेवक के नाम नहीं है तो किसके नाम धारित है, उल्लेख करें और उससे लोक सेवक की नातेदारी, यदि कोई	अर्जन की तारीख	कैसे अर्जित की गई (क्या क्रय, बंधक, पट्टे,विरासत, दान या अन्यथा द्वारा है) और उस व्यक्ति/ व्यक्तियों के ब्यौरे सहित नाम जिनसे अर्जित की गई है (पता और संबद्ध व्यक्ति/व्यक्तियों का सरकारी सेवक से संबंध, यदि कोई है) कृपया नीचे टिप्पण 1 देखें और अर्जन की लागत	संपत्ति का वर्तमान मूल्य (यदि ठीक मूल्य ज्ञात न हो तो लगभग मूल्य उपदर्शित किया जाए)	संपत्ति से कुल वार्षिक आय	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

तारीख.....................

हस्ताक्षर.....................

टिप्पण -- 1. स्तंभ 9 के प्रयोजन के लिए, पट्टा "पद" से वर्ष दर वर्ष से किसी एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए या वार्षिक किराए के लिए आरक्षित अवधि के लिए स्थावर संपत्ति का पट्टा अभिप्रेत होगा तथापि जहां स्थावर संपत्ति का पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्य होता है जिसका सरकारी सेवक के साथ शासकीय संबंध है, ऐसे पट्टे की अवधि को चाहे यह अल्पकालिक हो या दीर्घकालिक हो और किराए के संदाय की कालिकता पर ध्यान दिए बिना दर्शाया जाना चाहिए ।

"प्ररुप सं0 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20......................को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण

क्रम सं0	ऋणी (स्वंय/ पति या पत्नी या आश्रित बालक)	लेनदार का नाम और पता	ऋण/दायित्व की प्रकृति और रकम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

तारीख...................

हस्ताक्षर..

टिप्पण 1 : उधारों की व्यष्टिक मदों को जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं है (जहां लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रुपये है, सम्मिलित किऐ जाने की आवश्यकता नहीं है ।

टिप्पण 2 : विवरण में बैंको, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से और व्यष्टियों से लिए गए विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांसो) को सम्मिलित करना होगा ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 694] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2014/पौष 5, 1936
No. 694] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 918(अ).—केंद्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ पठित उपधारा (1) धारा 44 और धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की वार्षिक विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) दूसरा संशोधन नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 3 के उपनियम (2) के परंतुक में "31 दिसंबर, 2014 को या उसके पूर्व" शब्दों और अंकों के स्थान पर "30 अप्रैल, 2015 को या उसके पूर्व" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

3. मूल नियमों के परिशिष्ट 2 में,--

(क) प्ररूप सं. 2 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररुप सं. 2

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20......................को यथाविद्यमान जंगम संपत्ति का विवरण

(स्वयं, पति या पत्नी और आश्रित प्रत्येक बालक के लिए पृथक शीट का प्रयोग करें)

क्रम सं0	विवरण	टिप्पणियां, यदि कोई हों
(i)*	नकदी और बैंक में अतिशेष :	
(ii)**	बीमा (संदत्त प्रीमियम) :	
	नियत/आवर्ती जमा :	
	शेयर/बॉड :	
	पारस्परिक निधि (निधियां) :	
	पेंशन स्कीम/भविष्य निधि	
	अन्य विनिधान, यदि कोई हों :	
(iii)	किसी व्यक्ति या अस्तित्व जिसके अंतर्गत फर्म, कंपनी, न्यास आदि भी हैं को दिया गया व्यक्तिगत ऋण/अभिदाय (एडवांस) और ऋणियों से प्राप्त अन्य प्राप्तियां और रकम (यथास्थिति, दो मास का मूल वेतन या एक लाख रुपए से अधिक) :	
(iv)	मोटर यान (निर्माण, रजिस्ट्रीकरण संख्या, क्रय करने का वर्ष और संदत्त रकम के ब्यौरे) :	
(v)	आभूषण [अनुमानित भार (सोना बहुमूल्य रत्न की बाबत 10 ग्राम अधिक या कम ; चांदी की बाबत 100 ग्राम अधिक या कम)]	
	सोना :	
	चांदी :	
	बहुमूल्य धातुएं और बहुमूल्य रत्न :	
	मिश्रित मदें : (अनुमानित मूल्य उपदर्शित करें)***	
(vi)	कोई अन्य आस्ति : [उपरोक्त (i) से (v) के अंतर्गत न आने वाली जंगम आस्तियों के ब्यौरे दें] (क) फर्नीचर (ख) फिक्सचर (ग) प्राचीन वस्तुएं (घ) रंगचित्र (पेंटिंग) (ङ) इलैक्ट्रानिक उपस्कर (च) अन्य (किसी प्रवर्ग की बाबत ब्यौरे तभी उपदर्शित करें यदि उस विशिष्ट प्रवर्ग (अर्थात् फर्नीचर, फिक्सचर, इलैक्ट्रानिक उपस्कर आदि) में सम्मिलित किसी विशिष्ट आस्ति का कुल वर्तमान मूल्य, यथास्थिति, दो मास के मूल वेतन या 1.00 लाख रुपए से अधिक हों)	

हस्ताक्षर......................

तारीख......................

*विदेशी बैंक (बैंकों) में जमाओं के ब्यौरे पृथक रूप से दिए जाएंगे ।

**2 लाख रुपए से अधिक के विनिधानों व्यक्तिगतरूप से रिपोर्ट किए जाएंगे । 2 लाख रुपए से कम के विनिधान एक साथ रिपोर्ट किया जा सकता है ।

***पहली विवरणी में उपदर्शित मूल्य को पश्चातवर्ती विवरणियों में पुनरीक्षित करने की आवश्यकता नहीं है जहां तक सुसंगत वर्ष के दौरान कोई नई संयुक्त मद अर्जित नहीं की गई हो या किन्हीं विद्यमान मदों का निपटारा नहीं किया गया हो ।";

(ख) प्ररूप सं. IV के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररुप सं. 4

पहली नियुक्ति पर या 31 मार्च, 20......................को यथाविद्यमान ऋणों और अन्य दायित्वों का विवरण

क्रम सं0	ऋणी (स्वंय/ पति या पत्नी या आश्रित बालक)	लेनदार का नाम और पता	ऋण/दायित्व की प्रकृति और रकम	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

तारीख.....................   हस्ताक्षर...

टिप्पण 1 : उधारों की व्यष्टिक मदों को जो दो मास के मूल वेतन से अधिक नहीं हैं (जहां लागू हों) और अन्य दशाओं में 1.00 लाख रुपये है, सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

टिप्पण 2 : विवरण में बैंकों, कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं, केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार से और व्यष्टियों से लिए गए विभिन्न ऋणों और अभिदायों (एडवांसों) को सम्मिलित करना होगा।

[फा. सं. 407/12/2014-एवीडी-IV (बी)]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 501(अ), तारीख 14 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका भारत के राजपत्र असाधारण, तारीख 8 सितंबर, 2014 में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा.का.नि. 638(अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2014.

G.S.R. 918(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59, section 44 and section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014, namely:–

1. (1) These rules may be called the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Second Amendment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 3, in the proviso to sub-rule (2), for the words "on or before the 31st day of December, 2014", the words "on or before the 30th day of April, 2015" shall be substituted.

E96

3. In the principal rules, in Appendix II, —

(a) for Form No. II, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM No. II

Statement of movable property on first appointment or as on the 31st March, 20...

(Use separate sheets for self, spouse and each dependent child.)

Name of public servant/spouse/dependent child: ______________________

S.No	Description	Remarks, if any
(i) *	Cash and bank balance:	
(ii)**	Insurance (premia paid) :	
	Fixed /Recurring Deposit(s):	
	Shares/Bonds :	
	Mutual Fund(s) :	
	Pension Scheme/Provident Fund	
	Other investments, if any :	
(iii)	Personal loans/advance given to any person or entity including firm, company, trust, etc. and other receivables from debtors and the amount (exceeding two months basic pay or Rupees one lakh, as the case may be):	
(iv)	Motor Vehicles (Details of Make, registration number, year of purchase and amount paid):	
(v)	Jewellery [Give details of approximate weight (plus or minus 10 gms. in respect of gold and precious stones; plus or minus 100 gms. in respect of silver).]	
	Gold:	
	Silver:	
	Precious metals and precious stones:	
	Composite items: (indicate approximate value)***	
(vi)	Any other assets [Give details of movable assets not covered in (i) to (v) above] (a) Furniture (b) Fixtures (c) Antiques (d) Paintings (e) Electronic equipments (f) Others [Indicate the details of an asset, only if the total current value of any particular asset in any particular category (e.g. furniture, fixtures, electronic equipments, etc.) exceeds two months' basic pay or Rs. 1.00 lakh, as the case may be.]	

Date .... Signature............................

* Details of deposits in the foreign Bank(s) to be given separately.

** Investments above Rs. 2 lakhs to be reported individually. Investments below Rs. 2 lakhs may be reported together.

*** Value indicated in the first return need not be revised in subsequent returns as long as no new composite item had been acquired or no existing items had been disposed of, during the relevant year.";

(a) for Form No. IV, the following Form shall be substituted, namely:—

"FORM No. IV

Statement of Debts and Other Liabilities on first appointment or as on 31st March, 20.....

Sl. No.	Debtor (Self/ Spouse or dependent children)	Name and address of Creditor	Nature of debt/liability and amount	Remarks
1	2	3	4	5

Signature..............................

Date ....

Note 1: Individual items of loans not exceeding two months basic pay (where applicable) and Rs. 1.00 lakh in other cases need not be included.

Note 2. The statement should include various loans and advances (exceeding the value in Note 1) taken from banks, companies, financial institutions, Central/State Government and from individuals.".

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV(B)]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number G.S.R. 501(E), dated the 14th July, 2014 and amended vide notification No. G.S.R. 638(E) published in the Gazette of India, Extraordinary, dated 8th September, 2014.

5118 GI/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2635]	नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2014/पौष 5, 1936
No. 2635]	NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

का.आ. 3272(अ).—केन्द्रीय सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 62 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस तारीख से जिसको लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के उपबंध लागू होते हैं, अर्थात् 16 जनवरी, 2016 से एक सौ अस्सी दिन से अनधिक अवधि के भीतर, लोकसेवकों द्वारा संपत्ति विवरणियों की फाइलिंग को और आस्तियों की घोषणा विनियमित करने के प्रयोजन के लिए, जिससे कि उन्हें उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप लाया जा सके, सभी विद्यमान नियमों में उपांतरण और संशोधन करने के प्रयोजन के लिए 15 फरवरी, 2014 से, लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न प्राधिकारियों जैसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, विधि और न्याय विभाग (विधि कार्य विभाग और विधायी विभाग) वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग और राज्य सरकारों के परामर्श से लोकसेवकों द्वारा वार्षिक विवरणी फाइल करने और आस्तियों की घोषणा करने से संबंधित विषय वस्तु से ब्यौहार करने वाले सभी विद्यमान नियमों के उपांतरण और संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ की ;

और उपरोक्त प्राधिकारियों से प्राप्त टिप्पणियों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया था तथा उक्त अधिनियम के अधीन नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को पूरा करने में कुछ और समय लगना था और विद्यमान नियमों को उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुरूप करने की प्रक्रिया में उक्त आदेश में अधिसूचित अवधि के परे समय लग रहा था और इसलिए केन्द्रीय सरकार ने 14 जुलाई, 2014 को उक्त आदेश को संशोधित करके एक सौ अस्सी दिन की उक्त अवधि को दो सौ सत्तर दिनों तक विस्तारित कर दिया था;

और केन्द्रीय सरकार ने मंत्रालयों/विभागों, जिसके अंतर्गत वित्तीय सेवाएं विभाग, लोक उद्यम विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय है, से परामर्श करने के पश्चात् लोक सेवक (सूचना और आस्तियों तथा दायित्वों की विवरणी देने तथा विवरणियाँ फाइल करने में आस्तियों की छूट के लिए सीमाएं) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 44 और धारा 45 के साथ पठित धारा 59 की उपधारा (2) के खंड (ट) और खंड (ठ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियमों को, 14 जुलाई, 2014 को, उनमें उन प्ररूपों को विहित करते हुए जिनमें प्रत्येक लोकसेवक द्वारा सूचना और वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत की जानी हैं, अधिसूचित किया था ;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियमों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रतियों को केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों को यह अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया था कि वे उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार अनुवर्ती कार्रवाई करें और संबंधित मंत्रालयों, विभागों और संगठनों तथा उनके नियंत्रण के अधीन पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के सभी अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करें;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त नियमों को अंतर्विष्ट करने वाली अधिसूचना की प्रतियों को सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को यह अनुरोध करते हुए अग्रेषित किया था कि वे उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार राज्य सरकारों के कार्यों के संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारियों और उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा उन सभी से उक्त नियमों का अनुपालन के सुनिश्चित करने की अपेक्षा करें;

और कुछ मंत्रालय और विभागों, संगठनों और व्यष्टिको ने लोकसेवक द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक सूचना को लोक डोमेन में रखने पर तथा विहित प्ररूपों में ऐसे ब्यौरों को प्रस्तुत करने में और संबंधित मंत्रालयों और विभागों की वेबसाइट पर उनके प्रकाशन में अंतर्वलित जटिलताओं तथा ऐसे ब्यौरों को विशेषकर जंगम संपत्ति के, भरने के पश्चात् लोकसेवकों की भेद्यता की प्रचंडता पर चिंताएं और आशंकाएं उठाई गईं, जिस लोकसेवक के पारिवारिक सदस्यों विशेषकर बालकों की सुरक्षा और संरक्षा पर आशंका व्यक्त की गई;

और केन्द्रीय सरकार ने, पूर्वोक्त वास्तविक चिंताओं और आशंकाओं को मद्देनजर रखते हुए उन प्ररूपों और प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए, जिनमें लोकसेवक उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेंगे, जैसा कि अधिनियम के अधीन और उसके तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित है, 28 अगस्त, 2014 को एक समिति का गठन किया और समिति से उक्त नियमों के अधीन विहित प्ररूपों की जांच करने और उनमें ऐसे परिवर्तनों का जो आवश्यक समझे जाएं, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर सुझाव देने की अपेक्षा की ;

और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विभिन्न सेवाओं और पदों से संबंधित विद्यमान नियमों के पुनरीक्षण का कार्य, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की प्रक्रिया को पूरा करने तथा उन प्ररूपों और प्रक्रिया के सरलीकरण के कार्य, जिनमें लोकसेवक आस्तियों और दायित्वों की घोषणाएं करेंगे, में उक्त आदेश में यथाविनिर्दिष्ट दो सौ सत्तर दिन की अवधि से परे समय लगने की संभावना थी (जैसा कि 14 जुलाई, 2014 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है) उक्त दो सौ सत्तर दिन की अवधि को विस्तारित करना आवश्यक हो गया था और केन्द्रीय सरकार ने तदनुसार उक्त अधिनियम की धारा 44 के प्रयोजनों के लिए उक्त दो सौ सत्तर दिन की अवधि को तीन सौ साठ दिन की अवधि तक विस्तारित करने के लिए उक्त आदेश को 8 सितंबर, 2014 को संशोधित किया ।

और केन्द्रीय सरकार द्वारा 28 अगस्त, 2014 को उन प्ररूपों और प्रक्रिया के सरलीकरण, जिनमें लोकसेवक, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा यथाअपेक्षित, आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेंगे, के लिए गठित समिति ने 1 अक्तूबर, 2014 को अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें समिति ने पूर्वोक्त नियमों के अधीन लोक सेवकों द्वारा जंगम संपत्तियों से संबंधित कथन प्रस्तुत करने के लिए विहित प्ररूप तथा ऋणों और दायित्वों से संबंधित कथन प्रस्तुत करने के लिए विहित प्ररूप के सरलीकरण का सुझाव दिया;

और पूर्वोक्त नियमों में आवश्यक संशोधन को प्रक्रियागत करना जिससे जंगम संपत्ति से संबंधित कथन तथा ऋणों और दायित्वों से संबंधित कथन फाइल करने के लिए पुनरीक्षित प्ररूप सम्मिलित किया जा सके तथा केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के सभी मुख्य सचिवों को, राजपत्र में सम्यक् प्रकाशन के पश्चात् पुनरीक्षित प्ररूपों के प्रचालन तथा उक्त नियमों के निबंधनों के अनुसार राज्य सरकारों के कार्यों के संबंध में

629

अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारियों और उनके नियंत्रणाधीन विभिन्न संगठनों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों में कार्य कर रहे अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा उन सभी से पुनरीक्षित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने की अपेक्षा करने की अनुवर्ती कार्रवाई की और प्रक्रिया समय खपाने वाली प्रक्रिया है और इस प्रकार उक्त प्रक्रिया तारीख 8 सितंबर, 2014 के आदेश द्वारा यथा संशोधित मूल आदेश में यथा अनुध्यात तीन सौ साठ दिनों की सीमा में पूर्ण नहीं की जा सकती;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम में जानकारी में आई विभिन्न कमियों को दूर करने के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को संशोधित करने का विनिश्चय किया है, और इस संदर्भ में उक्त अधिनियम की धारा 44 के उपबंधों को संशोधित करने की भी आवश्यकता महसूस की गई है जिससे उक्त धारा के उपबंधों लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन विरचित नियमों, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 तथा उसके अधीन विरचित नियमों। केन्द्रीय सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 148 और अनुच्छेद 309 के अनुसरण में, विरचित नियम तथा स्वायत्तशासी निकायों और पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की स्थापना करने वाले विभिन्न कानून और उनके अधीन विरचित नियमों के सुसंगत उपबंधों को समन्वित किया जा सके,

और, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 का संशोधन करने के लिए विधेयक के पुरःस्थापन और इसे संसद् द्वारा पारित करने तथा इसके प्रवर्तन में समय लगने की संभावना है; और इसलिए तीन सौ साठ दिनों की उक्त अवधि को विस्तारित कर अठारह मास की अवधि करना आवश्यक हो गया है, तथा तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए इस अवधि को विस्तारित करने का विनिश्चय किया है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का 1) की धारा 62 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त आदेश के पैरा 2 के उप पैरा (1) में, "तीन सौ साठ दिन से अनधिक अवधि के भीतर", शब्दों के स्थान पर, "अठारह मास से अनधिक अवधि के भीतर" शब्द रखे जाएंगे।

[सं. 407/12/2014-एवीडी-IV(ख) I]

जिश्नु बरुआ, संयुक्त सचिव

टिप्पण : लोकपाल और लोकायुक्त (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2014, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 409 (अ) तारीख 15 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1840 (अ) तारीख 15 जुलाई, 2014 द्वारा प्रकाशित आदेश तारीख 14 जुलाई, 2014 तथा अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2256(अ), तारीख 8 सितंबर, 2014 द्वारा प्रकाशित आदेश तारीख 8 सितंबर, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

ORDER

New Delhi, the 26th December, 2014

S.O. 3272(E).— Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014) (hereinafter referred to as the said Act), made the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014 (hereinafter referred to as the said Order) with effect from the 15th February, 2014 for the purpose of carrying out modifications and amendments in all existing rules regulating the filing of property returns and making of declaration of assets by public servants so as to bring them in conformity with the provisions of the said Act, within a period not exceeding one hundred and eighty days from the date on which the provisions of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 came into force, i.e., the 16th January, 2014;

And whereas, the Central Government initiated the process of modifications and amendments of all existing rules dealing with the subject matter of filing of annual returns and making of declaration of assets by public servants in consultation with various authorities, such as, the Comptroller and Auditor General of India, the Election Commission,

the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, the Ministry of Law and Justice (Department of Legal Affairs and Legislative Department), the Department of Financial Services, the Department of Public Enterprises and the State Governments;

And whereas, the comments and suggestions received from above said authorities had been under consideration of the Central Government and the completion of the procedure of finalising the rules under the said Act was likely to take some more time and the process of harmonisation of the existing rules with the provisions of the said Act and the rules made thereunder was taking time beyond the period notified under the said Order, and, therefore, the Central Government amended the said Order on 14th July, 2014, extending the said period of one hundred and eighty days to a period of two hundred and seventy days;

And whereas, the Central Government, after consulting the Ministries/Departments, including the Department of Financial Services, the Department of Public Enterprises, the Ministry of Law and Justice and the office of the Comptroller and Auditor General of India, made the Public Servants (Furnishing of Information and Annual Return of Assets and Liabilities and the Limits for Exemption of Assets in Filing Returns) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (k) and clause (l) of sub-section (2) of section 59 read with section 44 and section 45 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, and notified the said rules on 14th July, 2014, prescribing therein the forms in which information and annual returns are to be filed by every public servant;

And whereas, the Central Government forwarded the copies of the notification containing the said rules to all Ministries and Departments of the Central Government requesting them to take the follow-up action in terms of the said rules, and for ensuring compliance with the said rules by all officers and staff in the respective Ministries, Departments and organisations and public sector undertakings under their control;

And whereas, the Central Government also forwarded the copies of the notification containing the said rules to the Chief Secretaries of all State Governments and Union territories, requesting them to take the follow-up action in terms of the said rules requiring all officers of the All India Services working in connection with the affairs of the State Governments and the officers and staff working in various organisations and public sector undertakings under their control so as to ensure due compliance with the said rules by all of them;

And whereas, concerns and apprehensions were raised by some Ministries and Departments, Organisations and individuals about the posting of every information provided by the public servant on public domain and the complexities involved in posting such details in the prescribed formats and also about exacerbation of vulnerabilities of the public servants after filing such details, specifically of movable property and their publication on the websites of respective Ministries and Departments giving rise to the apprehension of the safety and security of the members particularly children of the public servant;

And whereas, keeping in view the genuine concerns and apprehensions aforesaid, the Central Government constituted a Committee on 28th August, 2014 to simplify the forms and the process in which public servants shall make declaration of assets and liabilities as required under the said Act and the rules made thereunder and the Committee was required to examine the forms prescribed under the said rules and suggest changes therein as may be considered necessary within a period of forty-five days;

And whereas, the exercise of reviewing the existing rules relating to various services and posts with the provisions of the said Act and the rules made thereunder, the process of completion of follow-up action by various Ministries and Departments of the Central Government and the State Governments and the exercise of simplification of forms and the process in which public servants shall make declarations of assets and liabilities, was likely to take time beyond the period of two hundred and seventy days as specified in the said Order (as amended by the Order, dated 14th July, 2014), it had become necessary to extend the said period of two hundred and seventy days and, accordingly, the Central Government amended the said Order on 8th September, 2014, extending the said period of two hundred and seventy days to a period of three hundred and sixty days for the purposes of section 44 of the said Act;

And whereas, the Committee constituted by the Central Government on 28th August, 2014 to simplify the forms and the process in which public servants shall make declaration of assets and liabilities as required under the said Act and the rules made thereunder, submitted its first Report to the Government on 1st October, 2014, wherein the Committee suggested simplification of form prescribed for submission of statement regarding movable assets and the form prescribed for submission of statement regarding debts and liabilities by public servants, under the aforesaid rules;

622

And whereas, the processing of necessary amendments to the aforesaid rules so as to incorporate the revised forms for filing statement regarding movable properties and the statement regarding debts and liabilities and the circulation of the revised formats, after their due notification in the Official Gazette, to all Ministries and Departments of the Central Government and the Chief Secretaries of all State Governments and Union territory administrations and the further process of follow-up action in terms of the said rules requiring all officers of the All India Services working in connection with the affairs of the State Governments and the Offices and Staff working in various Organisations and Public Sector Undertakings under their control so as to ensure due compliance with the revised rules by all of them, is a time consuming process and as such the said process cannot be completed within the limit of three hundred and sixty days as contemplated in the principal order as amended by the order dated 8th September, 2014;

And whereas, Central Government has decided to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, to address various deficiencies noticed in the said Act and, in that context, a need has also been felt to amend the provisions of section 44 of the said Act so as to harmonise the provisions of the said section with the relevant provisions of the Representation of the People Act, 1951 and rules framed thereunder, the All India Services Act, 1951 and rules framed thereunder, the rules framed by the Central Government in pursuance of article 148 and article 309 of the Constitution and also various statutes setting up autonomous bodies and Public Sector Undertakings and the rules framed thereunder;

And whereas, the introduction of a Bill to amend the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013, and its passing by Parliament and enforcement is also likely to take time; and hence it has become necessary to extend the said period of three hundred and sixty days to a period of eighteen months, and the Central Government has accordingly decided to extend the period to complete this process;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 62 of the Lokpal and Lokayuktas Act, 2013 (1 of 2014), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014, namely:–

In the said Order, in paragraph 2, in sub-paragraph (1), for the words "within a period not exceeding three hundred and sixty days", the words "within a period not exceeding eighteen months" shall be substituted.

[F. No. 407/12/2014-AVD-IV(B) I]

JISHNU BARUA, Jt. Secy.

Note : The Lokpal and Lokayuktas (Removal of Difficulties) Order, 2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification number S.O. 409(E), dated 15th February, 2014 and amended by Order, dated 14th July, 2014 published vide notification number S.O. 1840(E) dated 15th July, 2014; and by Order dated 8th September, 2014 published vide notification number S.O. 2256(E) dated 8th September, 2014.

5117 GI/14-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

STATEMENT OF IMMOVABLE PROPERTY RETURN FOR THE YEAR ____ AS ON __/__/____

1. **Name of Officer (in full):** ____________________ **3. Cadre & Batch:** ____________

2. **Service to which the Officer belongs:** **Indian Administrative Service** **4. Present Pay:** ____________

Name of District, Sub-Division, Taluk & Village or City in which property is situated (full location & postal address)	Name & Details of Property, Housing, Lands and Other Buildings	Cost of construction/Acquirement (and year when purchased) including of land in case of house	Present Value *	If not in own name, state in whose name held & his/her relationship to the Govt. Servant	How acquired, whether by purchase, lease **, mortgage, inheritance, gift or otherwise with date of acquisition & name with details of person(s) from whom acquired.	Annual Income from property	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Signature:

Name:

Designation:

Date:

Note: Please read the notes overleaf before filling up the form.

NOTES

1) * In case where it is not possible to assess the value accurately, the approximate value in relation to present conditions may be indicated.

2) ** Includes short term leases also.

3) The declaration form is required to be filled in and submitted by every member of Class I and Class II services under relevant provisions of Conduct Rules and the first appointment to the Service and thereafter, at the interval of every twelve months, giving particulars of all immovable property owned, acquired or inherited by him or held by him on lease or mortgage, either in his own name or in the name of any member of his family or in the name of any other person dependent on Government Servant.

4) The wording 'No Change or No Addition or As in previous year' may be avoided and all details filled up.

5) AIS Officers are requested to fill the form in duplicate.

629